प्राथमिकता

संख्या- 07/2019/1663/38-3-2019/21/2016टी0सी0-1

प्रेषक,

अच्छे लाल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2019

विषय:- अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक ''4515'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये किये गये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नया वाहन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-719/स्था-4/पत्रा0सं0-103/वाहन/2019, दिनांक 19 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-04-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-मानक मद-14 मोटर गाडियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि से आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के उपयोगार्थ लेखाशीर्षक तथा मानक मदवार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर जेम पोर्टल के माध्यम से नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1)- अनुदान संख्या-13-4515-103-04 विकास आयुक्त (मुख्यालय)-14 मोटर गाडियों का क्रय

(प्राविधानित धनराशि रू0 30 लाख)

क्र0 स0	निष्प्रयोज्य वाहन संख्या	निष्प्रयोज्य वाहन का मेक/माडल	नीलामी से प्राप्त धनराशि/राजकोष में जमा करने की तिथि	अधिकारी/ जनपद जिसके साथ वाहन सम्बद्ध है।	क्रय हेतु प्रस्तावित नया वाहन का विवरण	डी0जी0एस0 एण्ड डी की नवीनतम प्रोफार्मा इनवाइस के आधार पर वाहन मूल्य
1	यू0पी-32बीजी-5066	अम्बेसडर-2009	रू0 25,960.00 30.06.2017	आयुक्त ग्राम्य विकास	इनोवा क्रिस्टा (टोयटा) 7-सप्ल.जी सीटर	**13,57,937/-**
					कुल	**13,57,937/-**

(रू0 तेरह लाख सत्तावन हजार नौ सौ सैंतीस मात्र)

3- उपरोक्त विवरण के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन का क्रय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) प्रस्तावित वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवथा तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय किये जाने में किसी प्रकार की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(6) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त ग्राम्य विकास का होगा।

(9) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से ,न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-07(1)/2019/1663/38-3-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (वित्त), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।